

with Ministry of Defence who are the Administrative Ministry of DG QA. The role of the DG QA in procurement of drugs and capacity verification is under examination by the Ministry of Defence.

**Training-cum-Employment centres for Women**

1268. **SHRI VITHALBHAI M. PATEL:** Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what is the number of training-cum-employment centres for women that have been established in different States;

(b) what are the details of such centres, State-wise; and

(c) what is the criteria of giving assistance for establishing such Cen-

tres for women by Voluntary Organizations?

**THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF YOUTH AFFAIRS & SPORTS AND WOMEN & CHILD DEVELOPMENT (MS. MAMTA BANERJEE):** (a) 1933.

(b) A statement is enclosed.

(c) The applications for assistance under this scheme are sent by the eligible organisations through the State Governments/Union Territory Administrations. After a preliminary scrutiny they are considered by a Screening Committee chaired by the Secretary of the Department of Women and Child Development. The Screening Committee approves proposals which are viable, have marketing tie ups and provide sustained employment at reasonable levels.

**Statement**

*NORAD projects sanctioned State-wise since 1982-83*

S.No States		No. of projects
1	2	3
1	Andhra Pradesh . . . . .	40
2	Assam . . . . .	1
3	Bihar . . . . .	1
4	Gujarat . . . . .	8
5	Haryana . . . . .	20
6	Himachal Pradesh . . . . .	7
7	Jammu & Kashmir . . . . .	..
8	Karnataka . . . . .	7
9	Kerala . . . . .	7
10	Madhya Pradesh . . . . .	3
11	Maharashtra . . . . .	11
12	Manipur . . . . .	2
13	Meghalaya . . . . .	..
14	Nagaland . . . . .	..

1	2	3
15	Orissa . . . . .	7
16	Punjab . . . . .	18
17	Rajasthan . . . . .	4
18	Sikkim . . . . .	..
19	Tamil Nadu . . . . .	27
20	Tripura . . . . .	1
21	Uttar Pradesh . . . . .	13
22	West Bengal . . . . .	14
23	Mizoram . . . . .	..
24	Arunachal Pradesh . . . . .	..
25	Goa . . . . .	..
26	Delhi . . . . .	2

### जाली शैक्षिक संस्थान

1269. श्री रणजीत सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग ने देश की विभिन्न संस्थाओं को यह चेतावनी दी है कि कुछ शिक्षा संस्था जाली हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि आयोग ने सरकार से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने का अनुरोध किया है ताकि इन जाली संस्थाओं के खिलाफ कार्यवाही की जा सके ;

(ग) क्या सरकार को इस जाली शैक्षिक संस्थाओं के विद्यमान होने के बारे में जानकारी है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इन जाली संस्थानों के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु सरकार

ने विधि में संशोधन करने का निर्णय लिया है, यदि हां, तो संशोधन कब तक कर दिया जाएगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय और कम्प्लेक्सी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) से (ग) विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग समय-समय पर प्रेस-विक्षेपित जारी करता रहा है जिसमें छात्रों तथा आम जनता को कुछ ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध चेतावनी दी जाती है जो वि०अ०आ० अधिनियम के अंतर्गत स्वयं को विश्वविद्यालय कहलाने अथवा निशियां प्रदाय करने हकदार नहीं है ऐसी संस्थाओं की एक सूची विवरण में दी गई है। वि० अ० आ० ने वि० अ०आ० अधिनियम को संशोधित करके ऐसे जाली विश्वविद्यालय चलाने अथवा स्थापित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध दण्ड बढ़ाने के लिए सरकार को एक प्रस्ताव भेज है।

(घ) मामला विचाराधीन है।